

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन ,ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , फ़ैक्स 0141-2742309 ,ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-38/2023)/अलेसे-III/११११

दिनांक:- 27/11/2025

कार्यालय आदेश

सुश्री सावन चन्देरिया, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 704287) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय उपनिदेशक (प्रशिक्षण) औद्योगिक, प्रशिक्षण संस्थान भीलवाडा के पत्र क्रमांक 1895 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 2481 दिनांक 28.10.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 05.05.2025 से 30.06.2025 तक
(कुल 57 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री चन्देरिया कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

K. S. Sharma
26/11/2025

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-38/2023)/अलेसे-III/११११

दिनांक:- 27/11/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय उपनिदेशक (प्रशिक्षण) औद्योगिक, प्रशिक्षण संस्थान भीलवाडा।
- 2 वरिष्ठ निजि सचिव निदेशक महोदय।
- 3 सुश्री सावन चन्देरिया, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 704287) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय उपनिदेशक (प्रशिक्षण) औद्योगिक, प्रशिक्षण संस्थान भीलवाडा।
- 4 उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 5 रक्षित/निजिपत्रावली।

Y. Sharma
(समीक्षा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)